(c) out of them, how many were allotted accommodation on out-of-turn basis; and

(d) what is the criteria for making the allotment on out-of-turn basis?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (c) The information in respect of number of units of Government accommodation in General Pool in Delhi allotted to the Government employees during the last three years in as follows:—

Year	Total	Out-of-turn
1991	6525	1720
1992	6818	2256
1993	5392	2057

(b) The number of applications pending for allotment as on 1.8.94 is 28679.

(d) The criteria for making the allotment on out-of-turn basis are:—

1. The personal staff of the Union Ministers, Judges of the Supreme Court, Members of the Planning Commission.
2. Such wards of retiring/ceasd Government employees, as are employed in the eligible offices.
3. On medical grounds such as T.B., Cancer and Heart problem and to the physically handicapped employees.
4. To the key personnel of the P.M.'s Office.
5. In relaxation of rules under SR317-B-25 compassionate grounds by the competent authority.

शहरी जल आपूर्ति और सफाई नीति

*285. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी जल आपूर्ति और सफाई नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस नीति को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस नीति को लागू करने पर राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अर्थात 1981 से 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम अपनाया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों के अनुसार मार्च, 1991 तक 90% शहरी जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति तथा 50% को स्वच्छता का लाभ दिया जाना था। जबकि 31-12-91 तक शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का लाभ 85% को तथा स्वच्छता का लाभ 46% को दिया गया। लक्ष्यों में गिरावट का मुख्य कारण छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त निधियों का अभाव था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में (1992-97) निधियां मिलने पर 100% शहरी जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति तथा 75% को सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाओं का लाभ पहुंचाने पर विचार किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 14,844 करोड़ रुपये की पूर्वानुमानित मांग की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5757.28 करोड़रुपये (केन्द्रीय सहायता सहित) के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

लागत वृद्धि, शहरीकरण, जल स्रोतों में गिरावट और प्रदूषण से जुड़ी योजना निधियों की कमी को देखते हुये राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की समीक्षा करना आवश्यक था। इस लिये मंत्रालय ने इस क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करने तथा इस क्षेत्र को वित्तीय रूप से उपयोगी तथा आत्म निर्भर बनाने के लिये कुछ सुधार निर्धारित करने के लिए शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता नीति विषय पर मार्च 1993 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन ने राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों के विचारार्थ वित्तीय मसलों, लागत वसूली, संस्थानिक स्वायत्तता, मानव संसाधन विकास तथा तकनीकी मसलों के बारे में सिफारिशें कीं। सिफारिशों की मुख्य बातें ये हैं: पूर्ण लागत वसूली के सिद्धान्त को अपनाना, जल आपूर्ति को एक उपयोगी सेवा मानना, लागत में कमी, टैरिफ निर्धारण में सम्बन्धित संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिये पृथक वाणिज्यिक लेखा रखना, ओ. एण्ड एम. में सुधार तथा जैविकीय पानी के लिए संस्थागत प्रबन्ध, सार्वजनिक/निजी साझेदारी, सामुदायिक साझेदारी प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास, जल संसाधन आयोजना, बेकार पानी का शोधन व पुनः उपयोग आदि।

(ग) आठवीं योजना 1990-91 और 1991-92 के लिये शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर व्यय बाबत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना विवरण-I में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने आठवीं योजना में शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिये 5757.28 करोड़ रुपये का समग्र नियतन किया है। कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे, में इस नियतन का अनंतिम ब्यौरा, जिसे योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है, विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सातवीं योजना से आगे शहरी जल-आपूर्ति तथा स्वच्छता पर राज्यवार व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	सातवीं योजना	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	172.90	27.38	51.46
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.73	0.13	2.34
3.	असम	15.77	0.14	5.83
4.	बिहार	50.59	3.89	7.45
5.	गोआ	51.43	12.37	16.92
6.	गुजरात	170.83	22.03	35.00
7.	हरियाणा	32.81	7.51	8.13
8.	हिमाचल प्रदेश	9.04	5.40	8.69
9.	जम्मू व कश्मीर	91.09	20.38	26.14
10.	कर्नाटक	128.03	27.04	48.86
11.	केरल	36.69	9.38	5.98
12.	मध्य प्रदेश	118.64	35.76	38.77
13.	महाराष्ट्र	612.15	158.34	160.50
14.	मणिपुर	12.73	3.67	4.82
15.	मेघालय	13.03	2.57	2.31
16.	मिजोरम	20.45	4.03	7.30
17.	नागालैण्ड	9.04	2.43	3.02
18.	उड़ीसा	28.11	8.39	9.72
19.	पंजाब	26.17	10.60	6.19
20.	राजस्थान	93.43	38.50	49.51
21.	सिक्किम	10.85	1.90	3.07
22.	तमिलनाडु	315.31	123.14	140.24
23.	त्रिपुरा	10.57	1.79	1.84
24.	उत्तर प्रदेश	126.72	27.25	22.12
25.	पश्चिम बंगाल	35.57	6.46	4.51
26.	अंडमान व निकोबार दीप	5.91	0.34	0.27
27.	चण्डीगढ़	18.01	0.50	4.50
28.	दादरा व नगरहवेली	0.23	0.05	1.00
29.	दमन व दीव	2.65	0.26	0.24
30.	दिल्ली	314.45	120.74	124.01
31.	लक्ष्य द्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	5.04	1.38	2.49
	सकल योग:	2538.97	684.25	791.33

विवरण-II

शहरी जल-आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिये आठवीं योजना (1992-97) परिव्यय

राज्य क्षेत्र

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	272.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	13.34
3.	असम	44.57
4.	बिहार	206.54
5.	गोआ	55.30
6.	गुजरात	91.00
7.	हरियाणा	114.00
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00
9.	जम्मू व कश्मीर	146.30
10.	कर्नाटक	290.00
11.	केरल	241.66
12.	मध्य प्रदेश	160.29
13.	महाराष्ट्र	908.97
14.	मणिपुर	40.00
15.	मेघालय	15.50
16.	मिजोरम	25.15
17.	नागालैण्ड	12.50
18.	उड़ीसा	91.66
19.	पंजाब	14.50
20.	राजस्थान	405.35
21.	सिक्किम	9.50
22.	तमिलनाडु	1042.00
23.	त्रिपुरा	15.00
24.	उत्तर प्रदेश	367.21
25.	पश्चिम बंगाल	84.00
26.	अंडमान व निकोबार दीप समूह	3.45
27.	चण्डीगढ़	90.00
28.	दादरा व नगरहवेली	1.75
29.	दमन व दीव	1.95
30.	दिल्ली	795.00
31.	लक्ष्य द्वीप	0.49
32.	पांडिचेरी	8.58
	योग:	5494.28
	केन्द्रीय क्षेत्र	263.00
	सकल योग:	5757.28